राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

कमांक 9(2)(4)कार्मिक/क–3/जांच/2018 **जयपुर, दिनांक** 24 AUG 2021

परिपत्र

राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 07.11.1998, 19.09.2013 एवं दिनांक 31.07.2018 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है। परिपत्र दिनांक 31.07.2018 के अनुसार प्रशासनिक विभाग द्वारा निलम्बन के प्रस्ताव पुष्टि हेतु 15 दिवस के भीतर और अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव 45 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है, लेकिन प्रशासनिक विभाग द्वारा निलम्बित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव/संशोधित प्रस्ताव लम्बे समय तक कार्मिक विभाग को प्रेषित नही किये जाते, जिससे निलम्बित अधिकारियों के विरूद्ध निर्धारित समयावधि में आरोप पत्रादि जारी नहीं हो पाते। प्रशासनिक विभाग के स्तर पर आरोप–पत्रादि प्रेषण में विलम्ब से ना केवल निलम्बन प्रकरणों की गंभीरता कम हो जाती है अपितु अनुशासनात्मक कार्यवाही में विलम्ब होने से कार्यवाही का महत्व/प्रभाव भी क्षीण हो जाता है।

अतः निर्देशानुसार सभी प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.07.2018 में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए राज्य सेवा के निलम्बित अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव निर्धारित समायावधि में कार्मिक विभाग को प्रेषित करेंगे, ताकि निर्धारित समयावधि में आरोप पत्रादि जारी किया जाना संभव हो सके।

-Sd-
(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव।
5. समस्त संभागीय आयुक्त।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/समस्त जिला कलक्टर।
7. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

18/08/21
(अंजू राजपाल)
शासन संयुक्त सचिव

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांक: प. 1(110)कार्मिक/क–3/जॉच/2012 जयपुर, दिनांक: 31/07/18

परिपत्र

राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 7.11.1998 एवं दिनांक 19.09.2013 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं जिनके अनुसार प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष या अन्य अधिकारी जिन्हें निलम्बन की शक्तियां प्रदत्त नहीं है, यदि परिस्थितिवश आवश्यक हो तो मुख्य सचिव महोदय एवं शासन सचिव कार्मिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर निलम्बन आदेश जारी करेंगे और प्रकरण को तत्काल पुष्टि हेतु कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों की लगातार अवहेलना की जा रही हैं जिनमें मुख्य सचिव महोदय एवं कार्मिक सचिव से पुष्टि प्राप्त कराये बिना ही विभागाध्यक्ष/अन्य अधिकारियों द्वारा निलम्बन आदेश जारी कर देना, निलम्बन पश्चात् कई माह तक पुष्टि के प्रस्ताव प्रेषित नहीं करना, निलम्बित अधिकारी का प्रकरण कार्मिक विभाग के संज्ञान में लाये बिना ही अपने स्तर पर बहाल कर देना, निलम्बन आदेश के बाद कई वर्षों तक अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव नहीं भिजवाना आदि शामिल हैं।

अतः उक्त स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व परिपत्र संख्या प. 1(110) कार्मिक/क–3/2012, दिनांक 19.09.2013 के अतिक्रमण में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन हेतु कार्मिक विभाग के साथ–साथ आवश्यक परिस्थिति अनुसार प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव द्वारा भी निलम्बन आदेश जारी किये जा सकेंगे।
2. उक्त निलम्बन आदेश के 15 दिवस के भीतर निलम्बन की पुष्टि का प्रकरण मय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्तावों सहित आवश्यक रूप से कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा। यदि किसी कारण से अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव 15 दिवस में प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो तो इसका समुचित कारण अंकित करते हुए निलम्बन की पुष्टि के प्रस्ताव आवश्यक रूप से 15 दिवस के भीतर ही प्रेषित किये जाये।
3. यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा निलम्बन के प्रस्ताव पुष्टि हेतु 15 दिवस के भीतर और अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव 45 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है तो उक्त निलम्बन निष्प्रभावी माना जाकर अधिकारी स्वतः ही बहाल माना जायेगा।

सभी प्रशासनिक विभाग उक्त निर्देशों की पालना कठोरता से करेंगे और यदि इनकी अवहेलना की जाती है तो प्रकरण मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में लाया जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
4 समस्त अति.मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव
5 समस्त सम्भागीय आयुक्त
6 समस्त विभागाध्यक्ष/ समस्त जिला कलक्टर

संयुक्त शासन सचिव